सोन अंचल किसान संघर्ष समिति

12, प्रसिडेन्ट चेम्बर, पटना–800001

पटना

17.07.91

प्रिय जगदानन्द जी,

117 वर्ष सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था वाले सोन अंचल पर इस वर्ष भीषण अकाल की छाया मंडरा रही है। नहरों से सुनिश्चित जलापूर्ति वाले इस इलाके में अन्य श्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था नही के बराबर है। 69 हजार वर्ष किलोमीटर में फैले सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की कमी के चलते इन्द्रपुरी बराज पर पानी की कमी होने लगी है। रिहन्द जलाशय में बिहार के हिस्से का पानी इस साल भी नही छोड़ा गया तो इस माह के अंत तक इन्द्रपुरी बराज से सोन नहरों के लिये पर्याप्त पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा। अभी इन्द्रपुरी बराज पर 6500 पानी उपर से आ रहा है और खेतों के प्रथम चरण के लिये पश्चिमी मुख्य नहर में 4600 क्यूसेक और पूर्वी मुख्य नहर में 1850 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की कमी के कारण अधिकारी नहरों की क्षमता भर पूरी पानी नही छोड़ पा रही है। पश्चिमी नहर की क्षमता 8000 क्यूसेक और पूर्वी नहर की क्षमता 4400 क्यूसेक है। इस प्रकार सोन नहरों की कुल क्षमता 12.400 के विरूद्ध इन्द्रपुरी बराज पर केवल 6500 क्यूसेक पानी की आमद है। सोन अंचल की खेती के लिये जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में औसतन 10,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता सरकारी दस्तावेजों में आंकी गयी है।

इसके पूर्व के वर्षा में जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के अनुसार 15 से 30 जुलाई के बीच इन्द्रपुरी पर 21 हजार क्यूसेक से 60 हजार क्यूसेक के बीच पानी की मात्रा रहती आ रही है। प्रथम सिंचाई आयोग के मुताबिक इसमें 5000 से 7000 क्यूसेक प्रवाह का योगदान रिहन्द जलाशय से रहता है। 1962 में रिहन्द जलाशय मनने के समय से ही बिहार की खेती के लिये यहां से चौबीसों घंटा और सालो भर कम से कम 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर वाणसागर समझौता में भी रिहन्द जलाशय का पूरा पानी बिहार को दिया गया है। पर 1980 में उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार ने मिलकर रिहन्द के पानी पर कब्जा कर लिया है और पूरा पानी सिगरौली के ताप बिजली घरों को दिया जाता है। नतीजनत हर साल सोन क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है।

इस मुद्दे पर बिहार सरकार की चुप्पी ने स्थिति को गम्भीर बना दिया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं वर्तमान सरकार ने भी रिहन्द के पानी पर बिहार का हक लेने के लिये पिछले 16 महीनों में ठोस कदम नही उठाया है। जबकि इस सरकार में 6 कैबिनेट स्तर के ऐस मंत्री है जो इस मुद्दे पर सोन अंचल संघर्ष समिति द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन में भागीदार रहे है। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग के बारे में केन्द्र सरकार और संसद का कानून बनाने और नियंत्रण करने का अधिकार है। न्यायाधि कारण अथवा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का आधार भी ऐसे मामले में राज्य सरकार की ही है। काबेरी जल जल विवाद के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच चल रही लड़ाई की तरह राज्य सरकार को ही नियमानुसार ऐसे विवाद को सुप्रीम कोर्ट अथवा न्यायाधि करण के सामने ले जाने का अधिकार है।

सोन अंचल की खेती के लिये रिहन्द जल का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि 1966 और 1979 के भीषण अकाल में भी सोन अंचल की खेती पर मुश्किल से 10 प्रतिशत असर पड़ा था। 1980 में 10 से 11 लाख एकड़ धान फसल की शुद्व सिचाई हुई थी, जबकि ारीफ के लिये सोन नहरों की शुद्ध सिंचान क्षमता 12.50 लाख एकड़ है। 1983 में 55 इंच की जगह केवल 25 इंच वर्षा इस क्षेत्र में हुई

थी। 1966 में तो केवल 22 इंच बारीश हुई थी, मगर रब्बी और खरीफ मिला कर सोन अंचल के जिलों में 18 लाख एकड़ की बोआई हुई थी, जबकि 1965 औ 1967 में क्रमशः 18.96 लाख एकड़ और 18.55 लाख एकड़ क्षेत्र में बोआई हुई थी।

रिहन्द और जलाशय का पानी सोन अंचल के पांच जिलों– भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। इसमें इतना पानी एकत्र रह सकता है, जिससे खेती के लिये सालों भर 5000 क्यूसेक का प्रवाह जारी रह सकता है। यह प्रवाह मिलता रहे तो सोन अंचल की खेती लगातार दो अकाल का सामना करने में सक्षम हो सकती है।

विघटित सोन नदी आयोग, वाणसागर नियंत्रण पर्षद और भारत सरकार के जल संसाधन विभाग की सभी बैकों में रिहन्द के पानी पर बिहार के दावा को मान्यता मिली है और उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा इसके इस्तेमाल को गैरकानूनी माना गया है, फिर भी पता नही क्यों बिहार की विभिन्न सरकारें इस मामले पर चुप्पी साध रही है। आज जब सोन क्षेत्र की जनता अकाल से जूझ रही है वर्तमान सरकार को जनहित एवं राज्यहित में इस पर ठोस कदम उठाने का उपयुक्त समय है।

भवदीय

सरयू राय

17.07.91

सेवा में,

श्री जगदानन्द सिंह,
मंत्री जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार।